[2018] 10 एस. सी. आर. 309

भारत संघ और ए. एन. आर.

वी.

एम/एस। अंतरमहत्वपूर्ण

सलाहकार और

तकनीक पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2014 की सिविल अपील संख्या 2013)

07 मार्च, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 - आर. 5-यदि

एस. एस. के प्रावधानों को अधिकार से बाहर कर देता है। 66 , 67 1994 का अधिनियम-विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने वाले उत्तरदाता मूल्यांकनकर्ताओं को न केवल इस प्रकार प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें हवाई यात्रा, होटल में ठहरने आदि जैसे उनके द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस प्रकार प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में सेवा कर का भुगतान करने वाले लेकिन जेब से किए गए खर्चों के लिए नहीं

उनके द्वारा खर्च किया गया, जिसे ग्राहकों द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी-आर के तहत। 5 , उक्त प्रतिपूर्ति गतिविधियों के मूल्य को भी उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना है-चुनौती-उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत याचिका-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: 1994 के अधिनियम की धारा 66 प्रभारित करने वाली धारा है और सेवा कर को संदर्भित करती है, अर्थात उन सेवाओं के संबंध में जो कर योग्य हैं और विशेष रूप से धाराओं के विभिन्न उपखंडों में संदर्भित हैं। 65 1994 के अधिनियम के अनुसार-यह उन सेवाओं का मूल्य है जो वास्तव में प्रदान की जाती हैं, जिसके मूल्य का पता उस पर देय सेवा कर की गणना के उद्देश्य से लगाया जाना है-कोई अन्य राशि जिसकी गणना ऐसी कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए नहीं की जाती है, वह उस मूल्यांकन का हिस्सा नहीं हो सकती है। 67 जो शुल्क लगाने के लिए कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है

सेवा कर - आर. 5 एस. के अधिदेश से बहुत आगे निकल गया। 67 - एस. एस. की व्याख्या करने में उच्च न्यायालय सही था। 66 और 67 यह कहने के लिए कि

कर योग्य सेवा का मूल्यांकन, कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी सेवा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा ली गई सकल राशि होगी और कर सेवा का मूल्यांकन कुछ भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता है।

भुगतान किए गए प्रतिफल की तुलना में-वित्त अधिनियम, 1994। 66 , 67 और एस। 94 .

[2018] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधानों की व्याख्या-विधान (अधिनियम) और अधीनस्थ विधान (नियम) के बीच संघर्ष आयोजितः इसके लिए नियम बनाए गए हैं -

अधिनियम के प्रावधानों के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त करना और इस प्रकार, क़ानून से परे नहीं जा सकता है-एक नियम जो मुख्य अधिनियम के साथ टकराव में आता है, उसे अधिनियम के प्रावधानों को रास्ता देना पड़ता है।

अपीलों को खारिज करते हुए और स्थानांतरित रिटों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 के नियम 5 में उन खर्चों को शामिल किया गया है जो सेवा प्रदान करते समय किए जाते हैं और जिनकी प्रतिपूर्ति की जाती है, अर्थात जिनके लिए सेवा प्राप्तकर्ता ने भुगतान किया है।

मूल्यांकनकर्ताओं। इन नियमों के अनुसार, ये प्रतिपूर्ति योग्य खर्च भी 'प्रभारित सकल राशि' का हिस्सा हैं। 19 अप्रैल, 2006 से पहले, यानी ऐसे किसी नियम के अभाव में, मूल्यांकन वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना था। [पैरा 21] [343-ई-एफ] 1.2 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 सेवा कर को संदर्भित करती है, अर्थात उन सेवाओं के संबंध में जो कर योग्य हैं और विशेष रूप से

जिसका मूल्य गणना के उद्देश्य से निर्धारित किया जाना है। उस पर देय सेवा कर। इस रंग में, अधिनियम की धारा 67 में आने वाली 'ऐसी' अभिव्यक्ति का महत्व है। दूसरे शब्दों में, सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन में, अधिकारियों को यह पता लगाना होता है कि 'ऐसी' कर योग्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल कितनी राशि ली जाती है। इस प्रकार, कोई भी अन्य राशि जिसकी गणना ऐसी कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए नहीं की जाती है, उस मूल्यांकन का हिस्सा नहीं हो सकती है क्योंकि उस राशि की गणना ऐसी 'कर योग्य सेवा' प्रदान करने के लिए नहीं की जाती है। यही वह सादा अर्थ है जिसे धारा 67 (अपरिवर्तित, अर्थात, 1 मई से पहले) के साथ जोड़ा जाना है।

2006) या इसके संशोधन के बाद, 1 मई, 2006 से प्रभावी। एक बार जब यह व्याख्या धारा 67 को दी जानी है, तो इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि 2006 के नियमों का नियम 5 धारा 67 के अधिदेश से बहुत आगे चला गया। उच्च न्यायालय भारत संघ बनाम में सही था।

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और तकनीकें

उप-धारा (1) के प्रावधान। धारा 67 की उप-धारा (1) का अधिदेश प्रकट है। , सेवा कर का भुगतान केवल इस पर किया जाना है वास्तव में सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। यह सामान्य बात है कि नियम कानून से परे नहीं जा सकते। [पारस 23-26] [343-G-H; 344-A-G]

1.3 एक नियम जो मुख्य अधिनियम के साथ टकराव में आता है, उसे अधिनियम के प्रावधानों को रास्ता देना पड़ता है। इसके लिए नियम बनाए गए हैं - अधिनियम के प्रावधानों के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त करना। [पैरा 27,28] [345-बी]

सी. आई. टी वी. एस. चेन्नियप्पा मुदलियार (1969) 74 आईटीआर 41 -

पर भरोसा किया।

1.4 वर्तमान मामले में, जिस तरह से विधानमंडल ने स्वयं कार्य किया, उससे उपरोक्त दृष्टिकोण मजबूत होता है। एहसास हो रहा है

कि कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित धारा 67 में ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिपूर्ति व्यय शामिल नहीं है, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित विधानमंडल 14 मई, 2015, जिसके तहत खंड (ए) जो 'प्रतिफल' से संबंधित है, में प्रतिपूर्ति योग्य व्यय या लागत को शामिल करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया गया है।

सेवा प्रदाता द्वारा किया गया खर्च और शुल्क, कर योग्य सेवा प्रदान करने या प्रदान करने के लिए सहमत होने के दौरान। इस प्रकार, केवल 14 मई, 2015 से, धारा 67 के प्रावधानों के आधार पर, इस तरह का प्रतिपूर्ति योग्य व्यय या लागत भी सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन का हिस्सा बनेगी। हालाँकि, विभाग द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया था कि धारा 67 एक घोषणात्मक प्रावधान है, और न ही यह तर्क दिया जा सकता है, क्योंकि यह पाया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो धारा 67 के साथ लाया गया है।

धारा 67 में संशोधन और इसलिए, संभावित प्रकृति का होना चाहिए। [पैरा 29] [345-डी-एफ]

सिविल अपील सं। 6865 2014 का नागरिक आवेदन सं। 6864 2014 का नागरिक आवेदन सं। 4975 2016 का नागरिक आवेदन सं। 5130 2016 और नागरिक आवेदन संख्या। 4536-4537 2016 का

1.5 उपरोक्त अपीलों में, मुद्दा यह है कि क्या

'साइट फॉर्मेशन एंड क्लीयरेंस सर्विस' की सेवा के संबंध में डीजल और विस्फोटकों की मुफ्त आपूर्ति का मूल्य धारा 67 के तहत सेवा कर के आकलन के उद्देश्य से शामिल किया जा सकता है। अधिनियम। इन मूल्यांकनकर्ताओं ने अधिसूचना Nos.15/2004 और 4/2005 का लाभ नहीं उठाया था। इसलिए, इस मुद्दे पर केवल अधिनियम की धारा 67 का उल्लेख करके निर्णय लिया जाना चाहिए। यह पहले से ही ऊपर रखा गया है कि सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की जाने वाली ऐसी सामग्री के मूल्य को 'सकल शुल्क राशि' के रूप में नहीं माना जा सकता है और यह सेवा प्रदान करने के लिए 'प्रतिफल' नहीं है। इसलिए, डीजल और विस्फोटकों की मुफ्त आपूर्ति का मूल्य शामिल करने की गारंटी नहीं देगा, जबकि इसके सेवा कर पर ली गई सकल राशि का भुगतान किया जाना है। इसलिए इन सभी अपीलों को भी खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 31] [347-सी-ई]

हस्तांतरण याचिका (नागरिक) सं। 1043-1045 2017 का हस्तांतरण याचिका (नागरिक) सं। 1932-1934 2017 का

1.6 इन स्थानांतरण याचिकाओं की अनुमति है और रिट

प्रार्थना खंड में उल्लिखित याचिकाएं, जो मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हस्तांतरित रिटों का निपटान 2014 की सिविल अपील संख्या 2013 और अन्य संबंधित मामलों में ऊपर दिए गए निर्णय के संदर्भ में भी किया जाता है। [पारस 32,33] [347-एफ]

भारत संघ और अन्य। वी. बंगाल श्राची आवास

डेवलपमेंट लिमिटेड और ए. एन. आर. (2018) 1 एस. सी. सी. 311

-

प्रतिष्ठित।

बाबाजी कोंडाजी गराड बनाम। नासिक मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव

बैंक लिमिटेड (1984) 2 एससीसी 50: [1984] 1 एससीआर 767; सीआईटी,

आंध्र प्रदेश बनाम। ताजमहल होटल (1971) 82 आईटीआर 44

- पर भरोसा किया।

जैन ब्रदर्स बनाम। भारत संघ (1970) 77 आई. टी. आर. 107;

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। वी. कामगार, आदि। [1960] 1 एससीआर 200; यू. पी. और अन्य का राज्य। वी.

भारत का बाबू राम उपाध्याय संघ बनाम। एम/एस। आंतरिक सलाहकार और तकनीकें

[1961] 2 एससीआर 679; बिमल चंद्र बनर्जी बनाम। की स्थिति

एम. पी. और अन्य। (1971) 81 आई. टी. आर. 105 के आयुक्त

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बनाम। क्योर एंड डेली लिमिटेड (1961) 3

डब्ल्यू. एल. आर. 788 (क्यू. बी.); भारत संघ और अन्य। वी. बॉम्बे टायर

इंटरनेशनल लिमिटेड और ओआरएस। (1984) 1 एससीसी 467: [1984]

1 एस. सी. आर. 347; मथुरम अग्रवाल बनाम। मध्य राज्य

प्रदेश (1999) 8 एससीसी 667: [1999] 4 पूरक। एससीआर 195;

गोविंद सरन गंगा सरन बनाम। बिक्री आयुक्त

985 ; आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-I, नई दिल्ली वी. वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (2015) 1 एससीसी 1:

[2014] 12 एस. सी. आर. 1037-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1970) 77 आईटीआर 107

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

1960] 1 एससीआर 200

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

1961] 2 एससीआर 679

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

1971) 81 आईटीआर 105

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

2018) 1 एस. सी. सी. 311

प्रतिष्ठित

पैरा

13

1984] 1 एससीआर 347

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

1999] 4 पूरक। एससीआर 195

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

1985] 3 एससीआर 985

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

1984] 1 एससीआर 767

उस पर भरोसा करें

पैरा

26

1969) 74 आईटीआर 41

उस पर भरोसा करें

पैरा

27

1971) 82 आईटीआर 44

उस पर भरोसा करें

पैरा

28

2014] 12 एससीआर 1037

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2

-एफ 2014

उच्च न्यायालय के 30.11.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 की रिट याचिका (सी) संख्या 6370 में नई दिल्ली में।

के साथ

सिविल अपील सं। 295-299 , 2021 , 4340-4341 , 6866 , 7685 , 7

864 और 2014 का 6865।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपील सं। 8056 और 2015 का 3360

स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं। 1043-1045 , 1932-1934 2017 का

सिविल अपील सं। 6090 , 10626-10627 , 10223-10224 , 5444 2017 का सिविल अपील सं। 4536-4537 , 5130 , 4975 और 2016 का 5453।

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री निशा बागची, सुश्री बी. सुनीता राव, अनुराग, शशांक कुमार, राजीव नंदा, सुश्री शिरीन खजुरिया, रुपेश कुमार, सुश्री पूजा शर्मा, सुश्री संस्कृति भारद्वाज, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

पुष्कर, अभिजीत स्वरूप, आयुष मेहरोत्रा, प्रवीण स्वरूप, प्रवीण सताले, राजीव शंकर द्विवेदी, एस. सुनील, सुदर्शन सिंह रावत, अरविंद एस., मोहिंदर जीत सिंह, जे. के. मित्तल, राजवीर सिंह, सुमित बत्रा, निखिल गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. इन सभी अपीलों में, कानूनी मुद्दा जिसमें निर्धारण की आवश्यकता होती है, लगभग समान होता है, हालांकि तथ्यों में बहुत कम भिन्नता हो सकती है। यह अंतर उन उत्तरदाताओं/निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति से संबंधित है जो सभी सेवा कर के दायरे में आते हैं। सेवाओं की प्रकृति में मामूली अंतर, हालांकि, मतभेदों की प्रकृति का अंतिम परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. सभी कर निर्धारिती सेवा कर का भुगतान कर रहे हैं। ये निर्धारिती जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वे मोटे तौर पर निम्नलिखित चार श्रेणियों में आती हैं:

(क) इंजीनियरिंग सेवाओं का परामर्श लेना।

(ख) शेयर हस्तांतरण एजेंसी की सेवाएं।

(ग) कस्टम हाउस एजेंट सेवाएँ 'हेड क्लियरिंग' द्वारा कवर की जाती हैं।

और अग्रेषण एजेंट '।

(घ) स्थल निर्माण और निकासी, उत्खनन और पृथ्वी की गति

और विध्वंस सेवाएँ।

3. उपरोक्त सेवाओं को प्रदान करते समय, निर्धारिती अपने द्वारा की गई कुछ गतिविधियों के संबंध में प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर रहे हैं जो उनके अनुसार अपने ग्राहकों से लिए गए 'सकल मूल्य' पर पहुंचने के लिए शामिल नहीं हैं। सेवा कर के नियम 5 के अनुसार (

मूल्य) नियम, 2006 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित), उक्त प्रतिपूर्ति गतिविधियों के मूल्य को भी सेवाओं के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना है।

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

इन उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान किया गया। वित्त अधिनियम, 1994 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अध्याय 5 की धारा 66 और 67 के प्रावधानों को असंवैधानिक और असंवैधानिक बताते हुए नियमों के नियम 5 के अधिकारों को चुनौती देते हुए निर्धारिती द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 नवंबर, 2012 के निर्णय द्वारा उक्त चुनौती को स्वीकार कर लिया है और नियम 5 को इन प्रावधानों से परे घोषित कर दिया है। 30 नवंबर, 2012 के फैसले के आधार पर अन्य मामलों में भी इसी तरह के परिणाम मिले हैं। इसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता की जांच करना आवश्यक है और इसकी समाप्ति इन सभी अपीलों/स्थानांतरण याचिकाओं के भाग्य का निर्धारण करेगी।

4. यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स द्वारा दायर रिट याचिका में दिया गया था। इंटरकांटिनेंटल कंसल्टेंट्स एंड टेक्नोक्रेट्स प्रा. लि. लिमिटेड आउट

यह राजमार्गों, संरचनाओं, हवाई अड्डों, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में काम करता है और भारत के बाहर और अंदर विभिन्न सड़क परियोजनाओं में लगा हुआ है। अपने व्यवसाय को जारी रखने के दौरान, याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में परामर्श सेवाएं प्रदान कीं। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) याचिकाकर्ता को न केवल उसकी सेवा के लिए भुगतान प्राप्त होता है, बल्कि हवाई यात्रा, होटल में ठहरने आदि जैसे उसके द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। यह सेवा कर का भुगतान कर रहा था

अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशि। यह अपने द्वारा किए गए खर्चों के संबंध में कोई सेवा कर का भुगतान नहीं कर रहा था, जिसे ग्राहकों द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी। 19.10.2007 पर, अधीक्षक (लेखा परीक्षा) समूह II (सेवा कर), नई दिल्ली ने याचिकाकर्ता को "वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2006-07 के लिए सेवा कर लेखा परीक्षा" विषय पर एक पत्र जारी किया। इस पत्र में, अपीलार्थी द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि सेवा कर प्रतिपूर्ति योग्य और यात्रा, आवास और भोजन आदि जैसे जेब से होने वाले खर्चों सहित सकल मूल्य पर प्रभारित होने के लिए उत्तरदायी था और प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 73 और 75 के तहत क्रमशः 13 प्रतिशत ब्याज के साथ देय सेवा कर जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसके जवाब में,

प्रत्यर्थी ने उपरोक्त पत्र में उल्लिखित अवधि के लिए पेशेवर आय के साथ-साथ जेब खर्चों से प्रतिपूर्ति का मासिक विवरण प्रदान किया। इसके बाद, 17 मार्च, [2018] 10 एस. सी. आर. को कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया।

2008 आयुक्त, सेवा कर, आयुक्तालय द्वारा जारी किया गया था, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी से कारण बताने के लिए कहा गया था कि प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि को शामिल करके सेवा कर की वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए, यह इंगित करते हुए कि इन्हें नियमों के नियम 5 (1) के प्रावधानों के अनुसार सकल मूल्य पर पहुंचने के दौरान शामिल किया जाना था। 6. नियम 5 को 1 जून, 2007 से लागू किया गया था। कारण दर्शाओ नोटिस में जो मांग की गई थी, वह अक्टूबर, 2002 से मार्च, 2007 तक की अवधि में की गई थी। इस कारण दर्शाओ नोटिस के खिलाफ, प्रतिवादी ने 2008 की रिट याचिका संख्या 6370 को प्राथमिकता दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन प्रार्थनाओं के साथ अपने अधिकारों को चुनौती दी, अर्थात्:

(i) सेवा कर के नियम 5 को पूरी तरह से रद्द करने के लिए।

(मूल्य निर्धारण) नियम, 2006 इस हद तक कि इसमें कर योग्य सेवा के मूल्य में खर्चों की प्रतिपूर्ति शामिल है।

सेवा कर लगाने का उद्देश्य; और

((ii) नियम को असंवैधानिक और अधिकार से बाहर घोषित करने के लिए। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 और 67; और

((iii) विवादित कारण-प्रकट नोटिस-सह-मांग दिनांक 17.03.2008 को रद्द करने के लिए, जिसमें कहा गया है कि यह अवैध, मनमाना, बिना कारण के है।

अधिकार क्षेत्र और असंवैधानिक।

7. नियम 5, जो 'कुछ व्यय या लागतों के मूल्य में समावेश या बहिष्करण' का प्रावधान करता है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है ताकि -

इसके पूर्ण निहितार्थ को समझें।

" 5. कुछ व्यय के मूल्य में समावेशन या अपवर्जन या

लागतें।

(1) जहाँ सेवा प्रदाता द्वारा कर योग्य सेवा प्रदान करने के दौरान कोई खर्च या लागत की जाती है, वहाँ ऐसे सभी खर्च या लागत को सेवा प्रदाता के लिए विचार के रूप में माना जाएगा।

प्रदत्त या प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवा और उक्त पर सेवा कर लगाने के उद्देश्य से मूल्य में शामिल की जाएगी। सेवा करते हैं।

(2) उप नियम (1) के प्रावधानों के अधीन, सेवा प्रदाता द्वारा एक शुद्ध एजेंट के रूप में किया गया खर्च या लागत

सेवा के प्राप्तकर्ता को कर योग्य सेवा के मूल्य से बाहर रखा जाएगा यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात्:

भारत का आयन बनाम। एम/एस। अंतर्निर्मित परिणाम और तकनीक [ए. के. सिकरी, जे.]

सेवा प्रदाता सेवा प्राप्तकर्ता के शुद्ध प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है जब वह माल के लिए तीसरे पक्ष को भुगतान करता है।

या खरीदी गई सेवाएँ;

सेवा का प्राप्तकर्ता माल प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है या

सेवा प्रदाता द्वारा अपनी क्षमता में इस प्रकार प्राप्त की गई सेवाएं

सेवा प्राप्तकर्ता के शुद्ध प्रतिनिधि के रूप में;

सेवा का प्राप्तकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है

तृतीय पक्ष;

सेवा प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ता सेवा प्रदाता

उसकी ओर से भुगतान करने के लिए;

सेवा प्राप्तकर्ता जानता है कि वस्तुएँ और सेवाएँ

जिसके लिए सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान किया गया है

तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किया जाएगा;

सेवा प्रदाता की ओर से किया गया भुगतान

सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्तकर्ता को जारी किए गए चालान में सेवा प्राप्तकर्ता को अलग से इंगित किया गया है सेवा;

सेवा प्रदाता प्राप्तकर्ता से ठीक हो जाता है

सेवा केवल ऐसी राशि जो उसके द्वारा भुगतान की गई हो

तृतीय पक्ष; तथा

सेवा प्रदाता द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवाएँ

सेवा प्राप्तकर्ता के शुद्ध प्रतिनिधि के रूप में तीसरा पक्ष उन सेवाओं के अतिरिक्त है जो वह अपने खाते में प्रदान करता है।

व्याख्या 1: उप नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, "शुद्ध प्रतिनिधि"

मतलब एक व्यक्ति जो -

प्राप्तकर्ता के साथ एक संविदात्मक समझौता करता है

सेवा का व्यय करने के लिए अपने शुद्ध प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना या

कर योग्य सेवा प्रदान करने के दौरान लागत;

न तो माल रखने का इरादा रखता है और न ही माल पर कोई अधिकार रखता है।

या इस तरह से खरीदी गई या शुद्ध एजेंट के रूप में प्रदान की गई सेवाएं

सेवा प्राप्तकर्ता; [2018] 10 एस. सी. आर.

इस तरह से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग नहीं करता है; और

केवल ऐसी खरीद के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि प्राप्त करता है

वस्तु या सेवाएँ।

व्याख्या 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि

कर योग्य सेवा का मूल्य कुल राशि है -

कर योग्य सेवा के सभी घटकों से युक्त विचार और यह कोई मायने नहीं रखता कि कुल विचार के अलग-अलग घटकों का विवरण अलग से इंगित किया गया है।

बिल में।

चित्रण 1: एक्स एक रियल एस्टेट एजेंट वाई के साथ अपना घर बेचने का अनुबंध करता है और उसके बाद वाई टेलीविजन पर एक विज्ञापन देता है। वाई बिल एक्स जिसमें टेलीविजन विज्ञापन के लिए शुल्क और कुल प्रतिफल बिल पर सेवा कर का भुगतान शामिल है। ऐसे मामले में, प्रदान की गई सेवा के लिए विचार यह है कि एक्स वाई को क्या भुगतान करता है. टेलीविजन विज्ञापन प्राप्त करते समय एक्स की ओर से एक एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है, भले ही एक्स द्वारा जारी किए गए चालान में टेलीविजन विज्ञापन की लागत का अलग से उल्लेख किया गया हो। विज्ञापन सेवा एस्टेट एजेंट के लिए एक इनपुट सेवा है ताकि वह अपनी सेवाओं को करने में सक्षम या सुविधाजनक हो सके।

एक संपत्ति एजेंट के रूप में।

चित्रण 2: एक कर योग्य सेवा प्रदान करने के क्रम में, एक सेवा प्रदाता यात्रा खर्च, डाक, टेलीफोन आदि जैसी लागतों को वहन करता है, और सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किए गए चालान पर इन वस्तुओं को अलग से इंगित कर सकता है। ऐसे मामले में, सेवा प्रदाता सेवा प्राप्तकर्ता के एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे इनपुट या इनपुट प्राप्त करता है।

कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए अपने खाते में सेवा। इस तरह के खर्च प्रतिपूर्ति योग्य खर्च नहीं बनते हैं। केवल इसलिए कि उन्हें सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किए गए चालान में अलग से इंगित किया गया है।

चित्रण 3: बी के साथ एक अनुबंध, एक घर बनाने के लिए एक वास्तुकार। कर योग्य सेवा प्रदान करने के दौरान, बी टेलीफोन शुल्क, हवाई यात्रा टिकट, होटल आवास आदि जैसे खर्च वहन करता है, ताकि वह ए को सेवाओं के प्रावधान को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम हो। ऐसे मामले में, बी किसी भी रूप में ए से इस तरह के खर्च की वसूली करता है, चाहे वह भारत का संघ हो।

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

अलग से मदबद्ध व्यय या एक समावेशी समग्र शुल्क के हिस्से के रूप में, बी द्वारा ली गई कुल राशि पर सेवा कर देय है। सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवा का मूल्य क्या है

ए बी को भुगतान करता है।

चित्रण 4: कंपनी एक्स विदेशी आगंतुकों के लिए चालक संचालित कारें प्रदान करके किराए की कैब की कर योग्य सेवा प्रदान करती है। चालक को उसके भोजन और रात भर रहने और किसी भी अन्य आकस्मिक खर्च के लिए एकमुश्त राशि दी जाती है।

कंपनी एक्स द्वारा पार्किंग शुल्क जैसे खर्च

दौरा करें। दौरे के अंत में, चालक अपने खर्चों के विवरण के साथ राशि की शेष राशि वापस कर देता है और प्रासंगिक बिल। कंपनी एक्स सेवा प्राप्तकर्ताओं से इन राशियों का शुल्क लेती है। चालक द्वारा की गई लागत और सेवा प्राप्तकर्ता को बिल कंपनी द्वारा सेवाओं के प्रावधान के लिए ली गई सकल राशि का हिस्सा है।

एक्स "।

8. रिट याचिका में प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित मामला यह था कि नियमों का नियम 5 (1), जो प्रदान करता है कि कर योग्य सेवाएं प्रदान करने के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा किए गए सभी खर्च या लागत इसे कर योग्य सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में माना जाएगा और सेवा कर लगाने के उद्देश्य से मूल्य में शामिल किया जाएगा।

धारा 67 का अधिदेश। यह तर्क दिया गया कि धारा 67, जो सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है, सेवा प्रदान करते समय किए गए उपरोक्त खर्च या लागत को शामिल करने का प्रावधान नहीं करती है क्योंकि उन्हें सेवा के तत्व/घटकों के रूप में नहीं माना जा सकता है। धारा 67 को वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा 1 मई, 2006 से संशोधित किया गया था। चूँकि हमारे समक्ष मामलों में उपरोक्त संशोधन से पहले की अवधि के साथ-साथ संशोधन के बाद की अवधि शामिल है, इसलिए बिना संशोधन और संशोधित दोनों प्रावधानों पर ध्यान देना उपयुक्त होगा। असंशोधित धारा 67 निम्नलिखित रूप में थी:

" " " 67. सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी भी कर योग्य सेवा का मूल्य

सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी राशि के लिए प्रभारित सकल राशि होगी।

स्पष्टीकरण 1. संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि एक कर योग्य सेवा के मूल्य में, जैसा भी मामला हो, 10 एस. सी. आर. शामिल हैं।

(ग) बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी धारक से लिए गए प्रीमियम की राशि; (घ) एयर ट्रैवल एजेंट द्वारा एयरलाइन से प्राप्त कमीशन;

(ई) बीमाकर्ता से एक एक्चुअरी, या मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ या बीमा एजेंट द्वारा प्राप्त कमीशन, शुल्क या कोई अन्य राशि;

(च) ऐसे निर्माता द्वारा निर्मित मोटर कार, हल्के मोटर वाहन या दो पहियों वाले मोटर वाहन की किसी भी सेवा को पूरा करने के लिए निर्माता से अधिकृत सेवा केंद्र द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति; और (छ) रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा रेलवे या ग्राहक से प्राप्त कमीशन या कोई राशि।

लेकिन इसमें शामिल नहीं है -

(i) टेलीफोन कनेक्शन या पेजर या फेसिमाइल (एफ. ए. एक्स.) या टेलीफोन या टेलेक्स या पट्टे पर दिए गए परिपथ के लिए आवेदन के समय अभिदाता द्वारा की गई प्रारंभिक जमा राशि; ((ii) सेवा प्रदान करने के दौरान ग्राहक को बेचे गए अप्रकाशित फोटोग्राफी फिल्म, अप्रकाशित चुंबकीय टेप या ऐसे अन्य भंडारण उपकरणों की लागत, यदि कोई हो;

(iii) मोटर कारों, हल्के मोटर वाहन या दो पहियों वाले मोटर वाहनों की सेवा या मरम्मत के दौरान ग्राहक को बेचे गए पुर्जों या सहायक उपकरण, या उपभोग्य जैसे स्नेहक और शीतलक, यदि कोई हो, की लागत;

((iv) हवाई यात्रा अभिकर्ता द्वारा उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के संबंध में एकत्र किया गया हवाई किराया; (v) रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में एकत्र किया गया रेल किराया; भारत संघ v.

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

(vi) ग्राहक को बेचे गए पुर्जों या अन्य सामग्री की लागत, यदि कोई हो,

रखरखाव या मरम्मत सेवा प्रदान करने के दौरान; (vii) ग्राहक को बेचे गए पुर्जों या अन्य सामग्री की लागत, यदि कोई हो,

निर्माण, चालू करने या प्रदान करने के दौरान

स्थापना सेवा; और (viii) ऋण पर ब्याज।

स्पष्टीकरण 2-जहां किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशि में देय सेवा कर शामिल है, वहां कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगी जो देय कर के जोड़ के साथ प्रभारित सकल राशि के बराबर है।

स्पष्टीकरण 3. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कर योग्य सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में शामिल होंगे:

ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, उसके दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त कोई राशि।

9. 1 मई, 2006 से इसके संशोधन के बाद, एक बहुत छोटा संस्करण पेश किया गया जो इस प्रकार है:

" 67. सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन।

(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां सेवा कर किसी कर योग्य सेवा पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य है,

तब ऐसा मूल्य होगा,

(i) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान धन में विचार के लिए है, सेवा प्रदाता द्वारा ली गई सकल राशि होगी।

ऐसी सेवा के लिए जो उसके द्वारा प्रदान की जाए या प्रदान की जाए; ((ii) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान विचार के लिए है।

पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से धन से युक्त नहीं, धन में ऐसी राशि हो जो प्रभारित सेवा कर के अतिरिक्त के बराबर हो।

विचार करना; ((ग) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान एक ऐसे प्रतिफल के लिए है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है, निर्धारित तरीके से निर्धारित की जाने वाली राशि हो।

(2) जहां किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में देय सेवा कर शामिल है, ऐसी कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगी जो देय कर को जोड़ने के साथ सकल राशि के बराबर हो।

आरोप लगाया।

(3) कर योग्य सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में शामिल होंगे -

कर योग्य सेवा के लिए इससे पहले, उसके दौरान प्राप्त कोई राशि

या ऐसी सेवा के प्रावधान के बाद।

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मूल्य का निर्धारण ऐसी तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित की जाए।

व्याख्याः इस धारा के प्रयोजन के लिए,
(क) "प्रतिफल" में कोई भी राशि शामिल है जो इसके लिए देय है।

(ख) "धन" में कोई भी मुद्रा, चेक, वचन पत्र, ऋण पत्र, मसौदा, भुगतान आदेश, यात्रियों का चेक, मनी ऑर्डर, डाक शामिल हैं। प्रेषण और इसी तरह के अन्य साधन लेकिन इसमें शामिल नहीं हैं

(ग) "प्रभारित सकल राशि" में चेक, क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान, खाते से कटौती और क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करके और पुस्तक समायोजन द्वारा भुगतान का कोई भी रूप और कोई भी राशि शामिल है। सेवा कर का भुगतान
करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की लेखा बहियों में, जहां कर योग्य सेवा का लेनदेन किसी भी संबद्ध उद्यम के साथ होता है, किसी भी खाते में, चाहे वह "सस्पेंस खाता" हो या किसी अन्य नाम से, जमा या डेबिट किया जाता है।

10. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद कहा कि धारा 67 के प्रावधानों में संशोधन और संशोधन दोनों किए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए कर योग्य सेवाओं के मूल्य के निर्धारण के लिए अधिकृत

सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता द्वारा ली जाने वाली सकल राशि के रूप में धारा 66 (जो एक प्रभार अनुभाग है) के तहत सेवा कर वसूल करने का, ऐसे मामले में जहां -

सेवा पैसा है। 'ऐसी सेवा के लिए' शब्दों पर जोर देते हुए, उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा कि धारा 66 के तहत सेवा कर का प्रभार कर योग्य सेवा के मूल्य पर होना चाहिए, अर्थात निर्धारिती द्वारा एनएचएआई को दी गई सेवा के मूल्य पर, जो कि एक सलाहकार अभियंता की है, जिसे प्रभार में लाया जा सकता है और इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए सेवा के मूल्य का परिमाणीकरण सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए ली गई सकल राशि से कभी अधिक नहीं हो सकता है। उस सादृश्य पर, उच्च न्यायालय ने राय दी है कि नियम 5 का दायरा उस धारा से परे है जो अनुज्ञेय नहीं थी क्योंकि अधिनियम

की धारा 94 के तहत बनाए गए नियम केवल इस अध्याय (अधिनियम के अध्याय 5) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए जा सकते हैं।

जो सेवा कर के उद्ग्रहण की मात्रा और संग्रह का प्रावधान करता है। इस प्रक्रिया में, उच्च न्यायालय ने कहा कि कर योग्य सेवा प्रदान करने के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा किए गए खर्च या लागत को कभी भी सेवा प्रदाता द्वारा उसके द्वारा प्रदान की गई 'ऐसी सेवा के लिए' ली गई सकल राशि के रूप में नहीं माना जा सकता है, और नियम के नीचे दिया गया चित्रण 3 जिसमें ऐसी सेवाओं का मूल्य शामिल है, धारा 67 की सीमाओं के उल्लंघन का एक स्पष्ट उदाहरण था। द हाई

अदालत ने यह भी कहा कि इसके परिणामस्वरूप दोहरा कराधान भी हो सकता है क्योंकि हवाई यात्रा टिकटों पर खर्च पहले से ही हो चुका है सेवा कर के अधीन हैं और बिल में शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोहरे कराधान की कानून में अनुमति थी, लेकिन यह केवल तभी किया जा सकता था जब इसके लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो और इसे लागू नहीं किया जा सकता हो।

जैन ब्रदर्स v में निहितार्थ। भारत संघ 1. उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव के लिए इस न्यायालय के कई निर्णयों का भी उल्लेख किया है कि नियम मुख्य अधिनियम 2 के प्रावधानों तक नहीं पहुंच सकते हैं। उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम के मामले में इंग्लैंड की क्वींस बेंच के फैसले का भी उल्लेख किया। इलाज और डीली Ltd.[3]।

11. श्री के. राधाकृष्णन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया, जिसमें सुश्री निशा बागची, अधिवक्ता ने भी कुशलता से सहायता की।

शामिल मुद्दे की कुछ बारीकियों पर बहस करके महत्वपूर्ण योगदान। अपीलार्थी/विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की प्रस्तुति यह थी कि 19 अप्रैल, 2006 से पहले यानी नियम 5 के अभाव में

नियमों के अनुसार, कर योग्य सेवाओं का मूल्य अधिनियम की धारा 67 द्वारा कवर किया गया था। इस धारा के अनुसार, किसी सलाहकार इंजीनियर द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली परामर्श इंजीनियरिंग सेवाओं के संबंध में कर योग्य सेवाओं का मूल्य इंजीनियरिंग सेवाओं के संबंध में ग्राहक से प्रतिफल के लिए या धन के रूप में ली जाने वाली सकल राशि होगी। द.

'प्रभारित सकल राशि' अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से वे सभी राशियाँ शामिल होंगी जो सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित की गई थीं और ग्राहक से प्राप्त पारिश्रमिक तक सीमित नहीं होंगी। बहुत ही अर्थ

1 (1970) 77 आईटीआर 107

2 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। वी. कामगार, आदि, (1960) 1 एस. सी. आर. 200; बाबाजी कोंडाजी गराड बनाम। नासिक मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, (1984) 2 एससीसी 50; यू. पी. और अन्य का राज्य। वी. बाबू राम उपाध्याय, (1961) 2 एससीआर 679; सीआईटी बनाम। एस. चेन्नियप्पा मुदलियार, (1969) 74 आईटीआर 41; बिमल चंद्र बनर्जी बनाम। एम. पी. और अन्य का राज्य।, (1971) 81 आईटीआर

105 और सी. आई. टी., आंध्र प्रदेश बनाम। ताजमहल होटल, (1971) 82 आईटीआर 44

3 (1961) 3 डब्ल्यूएलआर 788 (क्यूबी)

' 'प्रभारित सकल राशि' उन सेवाओं को प्रदान करने में प्राप्त कुल राशि को दर्शाती है और इसमें परिवहन, कार्यालय का किराया, कार्यालय के उपकरण, फर्नीचर और उपकरण आदि जैसी अन्य राशियां शामिल होंगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह व्यय या लागत कर योग्य सेवाओं के लिए विचार का हिस्सा होगी। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि एक सेवा प्रदाता द्वारा ली गई सकल राशि तक पहुँचने में आवश्यक निवेश लागत को शामिल किया जाना चाहिए।

12. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 67 को 1 मई, 2006 से संशोधित किया गया था और इसने 'सकल' की अवधारणा को भी बरकरार रखा।

मूल्यांकन पर पहुँचने के उद्देश्य से 'प्रभारित राशि' जिस पर सेवा कर का भुगतान किया जाना है। विद्वान वकील ने बताया कि संशोधित धारा 67 की उप-धारा (4) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि मूल्य का निर्धारण इस तरह से किया जाना चाहिए जो निर्धारित किया जा सके और उसके अनुसार, नियमों का नियम 5 जो जून से लागू हुआ।

01 , 2007 , 'कुछ व्यय या लागतों के मूल्य में समावेशन या अपवर्जन' के लिए उपबंध। यह प्रस्तुत किया गया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इस नियम के अनुसार, सेवा प्रदाता द्वारा कर योग्य सेवाएं प्रदान करने के दौरान किए गए ऐसे सभी खर्च या लागतों को प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं के लिए विचार के रूप में माना जाना चाहिए या सेवा कर लगाने के उद्देश्य से मूल्यांकन तक पहुंचने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए, सिवाय उन लागतों के जिन्हें नियम 5 के उप-नियम (2) के तहत विशेष रूप से बाहर रखा गया था। प्रस्तुतिकरण यह था कि चूंकि धारा 67 विशेष रूप से निर्धारित करती है

सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभारित सकल राशि का सिद्धांत, नियम 5 धारा 67 के विपरीत नहीं गया क्योंकि इसमें केवल यह उल्लेख किया गया है कि प्रभारित सकल राशि का अर्थ क्या होगा।

13. इस निवेदन की सहायता में, विद्वान वकील ने उत्पाद शुल्क कानून में निर्धारित सिद्धांत से मदद लेने की मांग की और प्रस्तुत किया कि यह भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित है। वी. बंगाल श्रची हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड और Anr.4 कि सेवा कर मामलों की जांच करते समय उत्पाद शुल्क कानून में लागू होने वाले समान सिद्धांत लागू होते हैं। इसका समर्थन करने के लिए उक्त फैसले के पैराग्राफ 22 पर रिलायंस को रखा गया था।

मुद्दा यह था कि क्या सेवा कर, जो एक अप्रत्यक्ष कर है, सेवा प्रदाता द्वारा सेवा के प्राप्तकर्ता को दिया जा सकता है और इस रंग में, इस मामले पर चर्चा की गई, जैसा कि पैराग्राफ 21 और 22 के संयुक्त पठन से देखा जा सकता है, जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं: 4 (2018) 1 एस. सी. सी. 311 भारत संघ बनाम

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

" 21. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के निर्णयों में, जिसमें सेवा कर को एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में संदर्भित किया गया है, केवल इस बात का संदर्भ है कि सेवा कर आर्थिक सिद्धांत में एक अप्रत्यक्ष कर है, न कि संवैधानिक कानून। यह तथ्य कि सेवा कर, दी गई परिस्थितियों में, सेवा प्रदाता द्वारा सेवा के प्राप्तकर्ता को नहीं दिया जा सकता है, इसलिए, इस तरह के कर को सेवा कर से कम नहीं करेगा। इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री जयदीप गुप्ता के तर्क का मुख्य आधार यह है कि सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर पारित किया जाना चाहिए, इसलिए सेवा प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति बन जाएगा जिस पर मुख्य रूप से कर लगाया जाता है। लेविएबल।

22. आइए अब हम संबंधित कुछ निर्णयों की जांच करें -

एक अन्य अप्रत्यक्ष कर, अर्थात् उत्पाद शुल्क। सेवा कर की तरह, उत्पाद शुल्क भी आर्थिक अर्थों में एक अप्रत्यक्ष कर है। शुल्क वस्तुओं के निर्माण पर है और कर योग्य व्यक्ति है -

आम तौर पर उन वस्तुओं के निर्माता। मध्य प्रांतों में

और मोटर स्पिरिट और स्नेहक कराधान की बेरार बिक्री

अधिनियम, 1938, पुनः, संघीय न्यायालय ने मौरिस ग्वायर, सी. जे. के माध्यम से निर्णय लिया कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत उत्पाद शुल्क पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति है।

के स्तर पर या में उत्पादनीय वस्तुओं का निर्माता

निर्माण या उत्पादन के साथ संबंध। एक अलग फैसले में, जे. जयकर ने कहा कि उत्पाद शुल्क के सभी शुल्क उस पर लगाए जाते हैं।

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माण और उपभोग तक किसी भी बाद के चरण में लगाया और एकत्र किया जा सकता है।

. यह भी प्रस्तुत किया गया कि ई-सेवा के मूल्यांकन से निपटने के दौरान, मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए और शुल्क लेने से कोई सहायता नहीं ली जा सकती हैजैसा कि भारत संघ और अन्य में आयोजित किया जाता है। वी. बॉम्बे टायर इंटरनेशनल

& ओआरएस। 5 5 : .

" 8. श्री एन. ए. पालखीवाला, निर्धारिती के विद्वान वकील, ने तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो, उनका तर्क है, उत्पाद शुल्क की आवश्यक विशेषताओं का निर्माण करते हैं। सबसे पहले, वे कहते हैं, उत्पाद शुल्क निर्माण या उत्पादन पर एक कर है न कि किसी और चीज़ पर। दूसरा, घटना की एकरूपता उत्पाद शुल्क की एक बुनियादी विशेषता है। और तीसरा, विनिर्माण के बाद का बहिष्कार।

खर्च और उत्पादन के बाद के लाभ अनिवार्य रूप से शामिल हैं।

पहले सिद्धांत में और दूसरे को प्राप्त करने में मदद करता है। विद्वान वकील आग्रह करते हैं कि जहां उत्पाद शुल्क एक विज्ञापन मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, जिस मूल्य पर ऐसा शुल्क लगाया जाता है वह एक "वैचारिक" है।

मूल्य ", और यह कि वैचारिक प्रकृति इस परिस्थिति से उत्पन्न होती है कि निर्माता की पहचान और माल की पहचान के साथ-साथ निर्माता द्वारा ली गई वास्तविक थोक कीमत निर्धारित करने वाले कारक नहीं हैं। यह आग्रह किया जाता है कि पुरानी धारा 4 (ए) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक वैचारिक मूल्य लेवी का आधार बनता है, और यह कि विशेष निर्धारिती द्वारा लिया गया वास्तविक थोक मूल्य उत्पाद शुल्क का आधार नहीं हो सकता है। यह कहा जाता है कि खंड (ए) में अपनाया गया मानदंड समान कराधान का उत्पादन करने में सफल होता है, चाहे निर्धारिती ऐसे निर्माता हों जो अपने माल को समान रूप से बेचते हैं।

थोक, अर्ध-थोक या खुदरा, चाहे उनके पास एक विशाल बिक्री और विपणन नेटवर्क हो या कोई न हो, चाहे वे डिपो और शाखाओं में बेचते हों या कारखाने के द्वार पर बेचते हों, और क्या वे पूर्व-कारखाने के मूल्य को उत्पादन के बाद के खर्च और लाभ के साथ लोड करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि इसका मूल्य लेख एक वैचारिक आधार पर आधारित है, यह आग्रह किया जाता है कि धारा 4 (ए) के तहत मूल्यांकन का परिणाम धारा 4 (बी) के तहत मूल्यांकन के परिणाम से अलग नहीं हो सकता है। तर्क यह है कि कराधान की एकरूपता के सिद्धांत के लिए विनिर्माण के बाद के खर्चों और लाभों को बाहर करने की आवश्यकता होती है, एक ऐसा कारक जो एक निर्माता से दूसरे निर्माता में भिन्न होगा। यह इंगित किया गया है कि इस तरह का बहिष्कार एक प्रत्यक्ष बनाने के लिए आवश्यक है और

लेवी और विनिर्माण गतिविधि के बीच तत्काल संबंध और लेवी की घटनाओं में एकरूपता लाना। विद्वान वकील का तर्क है कि नई धारा 4 के तहत स्थिति समान है, जो वे कहते हैं, प्रस्तावित सिद्धांतों की मौलिक प्रकृति के कारण ऐसा होना चाहिए। इससे पहले। नई धारा 4 (1) (ए) की वास्तविक भाषा का उल्लेख करते हुए, यह बताया गया है कि उसमें "सामान्य मूल्य" अभिव्यक्ति का अर्थ है "उत्पाद शुल्क के उद्देश्यों के लिए सामान्य", अर्थात, कि कीमत में उत्पादन के बाद के खर्च शामिल नहीं होने चाहिए।

और विनिर्माण के बाद लाभ और किसी भी बाहरी तत्व से भरा नहीं होना चाहिए। हालाँकि, यह स्वीकार किया जाता है कि नई धारा 4 (1) (ए) के तहत इसे संरक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। भारत के एक संघ के बीच शुल्क की राशि के संबंध में एकरूपता।

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

निर्माता और एक अन्य, लेकिन यह आग्रह किया जाता है कि जिस आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, वह उसी अवधारणा द्वारा गठित होता है

मानदंड, वह निर्माण के बाद का खर्च और निर्माण के बाद का खर्च

विनिर्माण लाभ को बाहर रखा जाना चाहिए। इस निवेदन पर काफी जोर दिया गया है कि चूंकि उत्पाद शुल्क वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर एक कर है, इसलिए यह एक कर होना चाहिए।

उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के निर्माण या उत्पादन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और इसलिए, इसे केवल पूर्ण निर्माण के चरण में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के संदर्भ में निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य पर लगाया जा सकता है और इससे आगे किसी भी बिंदु पर नहीं। इस अंतरंग कड़ी या संबंध को बनाए रखने के लिए

कर की प्रकृति और कर के निर्धारण के लिए यह आग्रह किया जाता है कि उत्पादन के बाद के खर्चों और उत्पादन के बाद के मुनाफे की प्रकृति में "मूल्य" में शामिल सभी बाहरी तत्वों को बंद करना होगा। यह इंगित किया गया है कि मात्रा, मात्रा और वजन जैसे कारक, जो कर के माप में प्रवेश करते हैं, विनिर्माण गतिविधि के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और यह कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 84 के तहत संसद की शक्ति इस संबंध में कानून बनाने के लिए है।

"मूल्य" का निर्धारण कर की प्रकृति के साथ कर के माप को निर्धारित करने के लिए आधार को जोड़ने की वैचारिक आवश्यकता द्वारा प्रतिबंधित है।

XXX

XXX

XXX

10. इस मौलिक मुद्दे के अलावा, विवाद के अन्य बिंदु भी हैं, मुख्य रूप से नई धारा 4 में "संबंधित व्यक्ति" अभिव्यक्ति के अर्थ के साथ-साथ कटौती की प्रकृति के संबंध में जो निर्धारिती द्वारा उत्पादन के बाद के खर्च और उत्पादन के बाद के लाभ के रूप में दावा किया जा सकता है। "मूल्य" निर्धारित करने के उद्देश्य से कीमत।

11. पक्षकारों के लिए उनकी संबंधित दलीलों के समर्थन में विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करती हैं, और मौलिक प्रकृति के कई सवाल उठाए गए हैं। हम उनसे निपटना आवश्यक समझते हैं क्योंकि वे हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को स्वीकार करते हैं और निर्धारित करते हैं।

12. हम यह उचित समझते हैं कि शुरुआत में ही हमें उत्पाद शुल्क की अवधारणा को संक्षेप में इंगित करना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची I की दोनों प्रविष्टियाँ 45, जिसके तहत मूल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट अधिनियम अधिनियमित किया गया था, और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 84, जिसके तहत 1973 का संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था, "भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क" का उल्लेख करता है। उत्पाद शुल्क,

केंद्रीय प्रांतों में संघीय न्यायालय के अनुसार और

मोटर स्पिरिट और स्नेहक की बेरार बिक्री कराधान अधिनियम, 1938 [ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 1,6: 1939 एफ. सी. आर. 18] एक शुल्क है जो आम तौर पर निर्माता या निर्माता पर लगाया जाता है।

कर की गई वस्तु का निर्माण या उत्पादन। कर की प्रकृति और जिस बिंदु पर इसे एकत्र किया गया था, उसके बीच एक अंतर निकाला गया था और ग्वायर, सी. जे. ने कहा कि

सैद्धांतिक रूप से "। . . सैद्धांतिक रूप से ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता है कि किसी वस्तु की खुदरा बिक्री पर भी उत्पाद शुल्क क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, यदि कर अधिनियम ऐसा प्रदान करता है। हमेशा कराधान प्राधिकारी की विधायी क्षमता के अधीन, घरेलू उत्पादित वस्तुओं पर एक शुल्क स्पष्ट रूप से उस स्तर पर लगाया जाएगा जो प्राधिकरण को सबसे सुविधाजनक और सबसे अधिक आकर्षक लगता है, चाहे वह कहीं भी हो; लेकिन यह संग्रह की मशीनरी का मामला है, और आवश्यक वस्तुओं को प्रभावित नहीं करता है।

66 सिद्धांत रूप में केंद्रीय विधानमंडल को किसी वस्तु के अस्तित्व में आते ही उस पर उत्पाद शुल्क लगाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे उसके बाद उसका क्या होता है, चाहे वह बेची जाए, उपभोग की जाए, नष्ट की जाए या दी जाए। ए. कर प्राधिकरण आम तौर पर ऐसा शुल्क नहीं लगाएगा, क्योंकि जब वस्तु पहली बार कारखाने से बाहर निकलती है तो शुल्क एकत्र करना (जैसा कि अधिकांश भारतीय उत्पाद शुल्क अधिनियमों के मामले में होता है) प्रशासनिक रूप से बहुत अधिक सुविधाजनक होता है, और यह भी कि शुल्क का उद्देश्य एक अप्रत्यक्ष शुल्क होना है जिसे निर्माता या उत्पादक अंतिम उपभोक्ता को देना है।

जो वह नहीं कर सकता था अगर वस्तु, उदाहरण के लिए, कारखाने में ही नष्ट हो गई थी। यह भारत संघ बनाम के निर्माण का तथ्य है।

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

जो शुल्क को आकर्षित करता है, भले ही यह एकत्र किया जा सकता है

बाद में... ... .'

प्रेक्षणों से पता चलता है कि उत्पाद शुल्क की प्रकृति इस तथ्य से इंगित होती है कि यह किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन के संबंध में लगाया जाता है, लेकिन जिस बिंदु पर इसे एकत्र किया जाता है, वह उस समय से निर्धारित नहीं होता है जब इसका निर्माण पूरा हो जाता है, लेकिन यह प्रशासनिक सुविधा पर निर्भर करता है, और यह कि आम तौर पर इसे तब एकत्र किया जाता है जब वस्तु पहली बार कारखाने से बाहर निकलती है। दूसरे शब्दों में, ऐसी परिस्थिति जब वस्तु मूल्यांकन का उद्देश्य बन जाती है जब उसे बेच दिया जाता है

निर्माता अपनी वास्तविक प्रकृति से विचलित नहीं होता है, कि यह निर्माण के तथ्य पर एक शुल्क है। बाद के एक मामले में, राज्यपाल

जनरल-इन-काउंसिल v. मद्रास प्रांत [1945 एफ. सी. आर. 1791: ए. आई. आर. 1945 एफ. सी. 98], प्रिवी काउंसिल ने मोटर स्पिरिट और स्नेहक कराधान अधिनियम, 1938 के केंद्रीय प्रांतों और बरार बिक्री दोनों को संदर्भित किया [ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 1,6: 1939 एफ. सी. आर. 18] और मद्रास प्रांत बनाम। बोड्डु पाइदाना एंड संस [1942 एफ. सी. आर. 90,101: ए. आई. आर. 1942 एफ. सी. 33] और पुष्टि की कि जब किसी निर्माता पर उसके द्वारा पहली बिक्री के समय उत्पाद शुल्क लगाया गया था "तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उत्पाद शुल्क लगाने वाले कराधान प्राधिकरण को उस समय उस शुल्क को लागू करना सुविधाजनक लगता है जब उत्पाद शुल्क वाली वस्तु अपनी बिक्री के अवसर पर पहली बार कारखाने या कार्यशाला से निकलती है। लेकिन कर एकत्र करने का वह तरीका प्रशासन की एक दुर्घटना है; यह उत्पाद शुल्क का सार नहीं है, जो स्वयं निर्माण द्वारा आकर्षित होता है। इस न्यायालय के पास आर. सी. में इसी तरह के प्रश्न पर विचार करने का अवसर था। जाल वी। भारत संघ [ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1281: 1962 पूरक (3) एस. सी. आर. 436,451]। उस मामले में, केंद्र सरकार को एक अध्यादेश द्वारा ब्रिटिश भारत में कोयला खदानों से भेजे गए कोयले और कोक पर एक निर्दिष्ट दर पर उत्पाद शुल्क लगाने और एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया था। अध्यादेश के तहत बनाए गए नियम 3 ने सरकार को कोयला और कोक पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार दिया, जब इस तरह के कोयले और कोक को कोक संयंत्रों की कोयला खदानों से रेल द्वारा भेजा जाता था, और शुल्क रेलवे प्रशासन द्वारा मालवाहक या माल प्राप्तकर्ता से माल पर अधिभार के माध्यम से एकत्र किया जाना था। निर्धारिती द्वारा यह तर्क दिया गया कि उत्पाद शुल्क कानूनी रूप से उस माल प्राप्तकर्ता पर नहीं लगाया जा सकता है जिसका कोयले के निर्माण या उत्पादन से कोई लेना-देना नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" तर्क कराधान की घटना को भ्रमित करता है

उसके संग्रह के लिए प्रदान की गई मशीनरी ",

और 1938 के मध्य प्रांत और बरार अधिनियम 14 [ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 1,6: 1939 एफ. सी. आर. 18], मद्रास प्रांत बनाम। बोड्डु पाइदाना एंड संस [1942 एफ. सी. आर. 90,101 ए. आई. आर. 1942 एफ. सी. 33] और गवर्नर-जनरल इन

परिषद वी। मद्रास प्रांत [1945 एफ. सी. आर. 1791: ए. आई. आर. 1945 एफ. सी. 98]। इस न्यायालय ने तब कानून का सारांश इस प्रकार दिया:

" ..... उत्पाद शुल्क मुख्य रूप से उत्पादन पर एक शुल्क है या

के भीतर उत्पादित या निर्मित वस्तुओं का निर्माण देश। यह एक अप्रत्यक्ष शुल्क है जो निर्माता या

उत्पादक अंतिम उपभोक्ता को देता है, जो कि अंतिम उपभोक्ता है।

घटना हमेशा उपभोक्ता पर होगी। इसलिए, विषय हमेशा कराधान प्राधिकारी की विधायी क्षमता के लिए,

उक्त कर एक सुविधाजनक स्तर पर तब तक लगाया जा सकता है जब तक कि

ढोंग का चरित्र, अर्थात, यह निर्माण पर एक शुल्क है

या उत्पादन, नष्ट नहीं होता है। संग्रह की विधि नहीं है

कर्तव्य के सार को प्रभावित करता है, लेकिन केवल मशीनरी से संबंधित है

प्रशासनिक सुविधा के लिए संग्रह।

अन्य मामलों का पालन किया गया जहां पहले निर्धारित शर्तों में उत्पाद शुल्क की प्रकृति की पुष्टि की गई थी, और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 20 में संशोधन के लिए पुन: विधेयक का संदर्भ दिया जा सकता है।

1878 और केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1760: (1964) 3 एस. सी. आर. 787]; भारत संघ बनाम। दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स [ए. आई. आर 1963 एस. सी. 791: 1963 पूरक (1) एस. सी. आर. 586]; गुरुस्वामी एंड कंपनी. मैसूर राज्य [ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1512: (1967) 1 एस. सी. आर. 548]

और साउथ बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड v. भारत संघ [ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 922: (1968) 3 एससीआर 21]।

XXX

XXX

XXX

17. कुछ मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक तर्क उठाया गया था कि इस उपाय को धारा 4 के साथ धारा 3 को पढ़कर पाया जाना चाहिए, इस प्रकार धारा 3 के अवयवों को अभ्यास में शामिल किया जाना चाहिए। हम सहमत नहीं हो सकते। हम धारा 3 (1) से संबंधित हैं, और हमें वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जो प्रावधान को दोहरे चरित्र, एक शुल्क प्रावधान के साथ-साथ शुल्क के माप को परिभाषित करने वाले प्रावधान के साथ जोड़ता है।

भारत संघ v. एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

XXX

XXX

XXX

मोटर स्पिरिट और स्नेहक की बेरार बिक्री कराधान अधिनियम, 1938 [ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 1,6: 1939 एफसीआर 18]। जहाँ तक दूसरे प्रस्ताव का संबंध है, कि घटना की एकरूपता एक बुनियादी विशेषता है। उत्पाद शुल्क के मामले में, हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि प्रस्ताव की सटीकता उस स्तर पर निर्भर करती है जिस पर क़ानून इसे निर्धारित करता है। हम.

इस पर अभी चर्चा करेंगे। तीसरे प्रस्ताव के बारे में, कि उत्पादन के बाद के खर्चों और उत्पादन के बाद के खर्चों का बहिष्कार।

लाभ अनिवार्य रूप से पहले सिद्धांत में शामिल है जो अनिवार्य रूप से पालन नहीं करता है। निर्माण के बाद और निर्माण के बाद के खर्चों का बहिष्कार

विनिर्माण लाभ उत्पाद शुल्क की प्रकृति से संबंधित नहीं, बल्कि उत्पाद शुल्क के "मूल्य" के निर्धारण से संबंधित मामला है, और जैसा कि हमने समझाया है, "मूल्य" निर्धारित करने के लिए विधानमंडल द्वारा अपनाए गए मानक का व्यापक आधार हो सकता है, जिस पर प्रभार प्रावधान आगे बढ़ता है। सूत्रीकरण में निहित आगे के कथन की स्वीकृति

तीसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि विनिर्माण के बाद के खर्चों और विनिर्माण के बाद के मुनाफे को हटाने से इसे प्राप्त करने में मदद मिलती है। उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण में घटना की एकरूपता, इस बात पर निर्भर करती है कि घटना की ऐसी एकरूपता किस बिंदु पर है

विचार किया। यह आवश्यक रूप से निर्माता द्वारा वस्तु की बिक्री के चरण में शामिल नहीं है क्योंकि हम पाते हैं, उदाहरण के लिए,

कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की संशोधित धारा 3 (3) के तहत, अलग-अलग शुल्क मूल्य न केवल (ए) एक ही उत्पाद शुल्क के विभिन्न वर्गों या विवरणों के लिए, बल्कि (बी) एक ही वर्ग या विवरण (i) के उत्पाद शुल्क के लिए भी निर्धारित किए जा सकते हैं।

उत्पादकों या निर्माताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा उत्पादित या निर्मित, या (ii) खरीदारों के विभिन्न वर्गों को बेचा जाता है। कि नई धारा के तहत निर्धारित कर योग्य वस्तुओं का "मूल्य"

4 (1) (क) कुछ परिस्थितियों के अनुसार भी भिन्न हो सकता है [2018] 10 एस. सी. आर.

किसी संबंधित व्यक्ति के माध्यम से, सामान्य मूल्य वह मूल्य होगा जिस पर संबंधित व्यक्ति द्वारा माल बेचा जाता है। विक्रेताओं को हटाने के समय थोक व्यापार (जो संबंधित व्यक्ति नहीं हैं) या जहां ऐसे माल ऐसे विक्रेताओं को नहीं बेचे जाते हैं, ऐसे विक्रेताओं को (जो संबंधित व्यक्ति हैं) जो ऐसे माल को खुदरा में बेचते हैं। निर्धारिती के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तावित तीन सिद्धांतों की सत्यता की, जैसा कि वास्तव में इसकी जाँच अधिनियम के संदर्भ में इसके संशोधन से पहले और बाद में की जानी थी। निर्धारिती के मामले में यह है कि संशोधन ने लेवी की मूल योजना और उत्पाद शुल्क के मूल्य को निर्धारित करने के प्रावधानों में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं किया है।

15. इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने गंभीर अपराध किया था

अधिनियम की धारा 67 की व्याख्या करते समय या उस मामले के लिए, नियमों के नियम 5 की वैधता की जांच करते समय अधिनियम की धारा 66 (जो एक आरोप लगाने वाली धारा है) पर भरोसा करने में त्रुटि। विद्वान वकील ने शब्दकोश पर भी भरोसा किया जिसका अर्थ 'सकल राशि' शब्द को दिया जाता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 67 जिसमें 'कोई भी राशि' शब्द का उपयोग किया गया है, उसमें राशि की मात्रा के साथ-साथ राशि की प्रकृति भी शामिल होगी और इसलिए, सेवा प्रदान करने के लिए लागत को नियम 5 में उचित रूप से शामिल किया गया था, जो अधिनियम की धारा 67 के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं था।

16. श्री जे. के. मित्तल, अधिवक्ता, मेसर्स की ओर से पेश हुए। इंटरकांटिनेंटल कंसल्टेंट्स एंड टेक्नोक्रेट्स प्रा. लि. लि. उन्होंने जोर देकर तर्क दिया कि

उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय पूरी तरह से कानूनी स्थिति के अनुरूप था और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। शुरुआत में, उन्होंने बताया कि संसद ने 14 मई, 2015 से वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा अधिनियम की धारा 67 में फिर से संशोधन किया है। इस संशोधन द्वारा, भारत संघ v.

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

स्पष्टीकरण जोड़ा गया है जो अब यह बताता है कि विचार में सेवा प्रदाता द्वारा किए गए खर्च या लागत की प्रतिपूर्ति शामिल है। इससे संकेत लेते हुए, उन्होंने यह तर्क विकसित किया कि पहली बार, 14 मई, 2015 से, सेवा प्रदाता द्वारा किए गए खर्च या लागत की प्रतिपूर्ति को 'विचार' अभिव्यक्ति के तहत शामिल किया जाता है, जो 14 मई, 2015 से पहले कानूनी व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। इसलिए, विचाराधीन अवधि के लिए, 'विचार' था

सीमित क्षेत्र, अर्थात। यह केवल प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं के संबंध में था। उस आधार पर, प्रस्तुतिकरण यह था कि इन अपीलों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए, प्रतिपूर्ति किए गए खर्चों पर कोई सेवा कर नहीं हो सकता है क्योंकि अधिनियम की धारा 67 में इस तरह के समावेशन का प्रावधान नहीं है। श्री मित्तल ने परिपत्र के पैरा 2.4 का भी उल्लेख किया।

निर्देश एफ. नं. बी-43/5/97-टी. आर. यू. दिनांक 6 जून, 1997 जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि. किए गए विभिन्न अन्य प्रतिपूर्ति व्यय नहीं हैं

सेवा कर की गणना के लिए शामिल किया जाए।

17. धारा 66 और 67 के इर्द-गिर्द घूमती मुख्य दलीलों पर आते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि

धारा 66, जो एक प्रभार अनुभाग था, सेवा कर केवल 'कर योग्य सेवाओं के मूल्य' पर लगाया जाना है। इसी तरह, धारा 67, जो कर योग्य सेवा के मूल्यांकन से संबंधित है, स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि यह केवल 'ऐसी' कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए ली गई सकल राशि पर थी। इसलिए, एकत्र की गई कोई भी राशि जो ऐसी कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए नहीं है, उसे कर दायरे में नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा, 18 अप्रैल, 2006 से धारा 67 के स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार, "प्रभारित सकल राशि" में चेक, क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान, खाते से कटौती और क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करके किसी भी प्रकार का भुगतान और पुस्तक समायोजन शामिल है, और कोई भी राशि, जैसा भी मामला हो, किसी भी खाते में, चाहे वह "सस्पेंस खाता" हो या किसी अन्य नाम से, सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खातों में जमा या डेबिट की गई हो, जहां कर योग्य सेवा का लेनदेन किसी भी संबद्ध उद्यम के साथ होता है।

जबकि 18 अप्रैल, 2006 से पहले, धारा 67 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार,-"संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि सकल राशि

कर योग्य सेवा के लिए प्रभारित राशि में ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, उसके दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त कोई भी राशि शामिल होगी। इस प्रकार, कर योग्य सेवाओं पर शुल्क एक बार में नहीं लगाया जाता था, लेकिन अलग-अलग समय पर कर लगाया जाता था, अलग-अलग व्यक्तियों पर कर लगाया जाता था और कई कर योग्य सेवाओं में मूल्यों को भी काफी हद तक छूट दी जाती थी। उन्होंने इसे निम्नलिखित तालिका से प्रदर्शित किया:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. आई.

कर योग्य सेवाएँ

उपखंड

कर की तिथि

65 में से (105)

नहीं।

शुल्क

दर

1

परामर्श लें।

7-7-1997

इंजीनियर

(जी)

सेवा

किराया-ए-कैब सेवाएँ (0)

16-7-1997

2

व्यक्ति व्यवसाय में संलग्न है।

टैक्सी किराए पर लेना

द्वारा यात्री का परिवहन (ज़ज़ो)

3

एक विमान प्रचालक द्वारा वायु

((a) अंतर्राष्ट्रीय

1-5-2006

(ख) घरेलू

1-7-2010

अचल का किराया (जेडजेडजेड)

4

1-7-2007

संपत्ति

रेस्तरां सेवाएँ

***

1-5-2011

(ज़ज़ी)

5

आवास सेवाएँ (ZZZZW)

1-5-2011

****

6

होटल द्वारा

टेलीफोन सेवाएँ /

(ख),

7

1-7

दूरसंचार

(ZZZX)

1994 ,

1-6-2007

टेलीग्राफ द्वारा सेवाएँ

प्राधिकरण

टिप्पणियाँ:

* सेवा कर मूल्य के केवल 40 प्रतिशत, मूल्य के 60 प्रतिशत पर ही लगाया जाता था।

छूट दी गई थी।

** सेवा कर मूल्य के केवल 40 प्रतिशत, मूल्य के 60 प्रतिशत पर ही लगाया जाता था।

छूट दी गई थी, लेकिन 01-04-2012 से पहले, कर केवल 10 प्रतिशत पर था टिकटों का मूल्य।

*** मूल्य के केवल 30 प्रतिशत, मूल्य के 70 प्रतिशत पर ही सेवा कर लगाया जाता था।

छूट दी गई थी।

**** सेवा कर मूल्य के केवल 50 प्रतिशत, 50 प्रतिशत पर ही लगाया जाता था।

मूल्य को छूट दी गई थी।

18. श्री द्वारा निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया गया और उन पर भरोसा किया गया उपरोक्त प्रस्तुतियों को शांत करने के लिए:

(क) सबसे पहले संविधान का उल्लेख किया गया था।

माथुरम अग्रवाल बनाम के मामले में न्यायपीठ का निर्णय। राज्य ओ

मध्य प्रदेश जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1999) 8 एस. सी. सी. 667 भारत संघ बनाम एम/एस। अंतरमहत्वपूर्ण

सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

" 12. ..... कानून को स्पष्ट और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए।

कर कानून के तीन घटक अर्थात कर का विषय, वह व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और वह दर जिस पर कर का भुगतान किया जाना है। यदि किसी के बारे में कोई अस्पष्टता है

एक कराधान कानून में ये तत्व तब कानून में कोई कर नहीं है। फिर यह विधायिका पर है कि वह इस मामले में आवश्यक कार्य करे।

(ख) विद्वान वकील ने गोविंद सरन गंगा सरन बनाम के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी भरोसा किया। के आयुक्त

बिक्री कर & Ors.7:

" 6. कर की अवधारणा में प्रवेश करने वाले घटक सर्वविदित हैं। पहला उस अधिरोपण का चरित्र है जो अपनी प्रकृति से ज्ञात है जो उस कर योग्य घटना को निर्धारित करता है जो शुल्क को आकर्षित करता है, दूसरा उस व्यक्ति का स्पष्ट संकेत है जिस पर शुल्क लगाया जाता है और जो कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तीसरा वह दर है जिस पर कर लगाया जाता है, और चौथा वह माप या मूल्य है जिस पर कर देयता की गणना के लिए दर लागू की जाएगी। यदि वे घटक स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से पता लगाने योग्य नहीं हैं, तो यह कहना मुश्किल है कि लेवी कानून के दृष्टिकोण से मौजूद है। लेवी के उन घटकों में से किसी को भी परिभाषित करने वाली विधायी योजना में कोई भी अनिश्चितता या अस्पष्टता इसके लिए घातक होगी।

वैधता "।

19. विद्वान वकील ने दोहराया कि कानून में ऐसी अस्पष्टता है

अब केवल 14 मई, 2015 से धारा 67 में संशोधन द्वारा ठीक किया जाता है।

20. हमने विभाग के विद्वान वकील के साथ-साथ विभाग के वकील द्वारा की गई उपरोक्त दलीलों पर विधिवत विचार किया है।

मूल्यांकनकर्ता। जैसा कि देखा जा सकता है, इन प्रस्तुतियों को 2014 की सिविल अपील संख्या 2013 के संबंध में नोट किया गया है जहां निर्धारिती 'परामर्श इंजीनियरिंग सेवाएं' प्रदान कर रहा है। अन्य अपीलों में, हालांकि सेवाओं की प्रकृति कुछ अलग है, लेकिन यह किसी भी तरह से कानूनी मुद्दे का रंग नहीं बदलता है।

उन सेवाओं को प्रदान करने के दौरान, निर्धारिती ने कुछ खर्च किए थे जिन्हें सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी। इन खर्चों को सेवा कर का भुगतान करते समय मूल्यांकन के उद्देश्य से शामिल नहीं

किया गया था। इस प्रकार, निर्धारण के लिए प्रश्न जो 2014 की सिविल अपील संख्या 2013 में प्रस्तुत किया गया है, उसका उत्तर अन्य अपीलों के परिणाम को भी नियंत्रित करेगा। फिर भी, पूर्णता के लिए, हम कर सकते हैं

इन सभी मामलों का संक्षिप्त विवरण दें।

7 (1985) पूरक।

एस.

सी. सी 205 [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेसर्स को परामर्श सेवाएँ। राजमार्ग परियोजनाओं के लिए एनएचएआई। वे. सकल के बजाय केवल पारिश्रमिक पर सेवा कर का भुगतान कर रहे थे

ग्राहक से प्रभारित मूल्य।

एस. एल. सिविल अपील तथ्य

प्रतिपूर्ति योग्य

दावा किया गया

सं. विवरण

नहीं।

के रूप में

शामिल किया

जा सकता है

परिवहन,

कार्यालय

1 . 2013/2014

अवधिः अक्टूबर 2002

-

मार्च 2007 (इससे पहले)

किराया,

कार्यालय की आपूर्ति

यूओआई

वी.

और

उपयोगिताएँ, परीक्षण

अंतरमहाद्वीपीय

प्रभाव में आ रहा है

सलाहकार

विवादित नियम 5

आरोप,

दस्तावेज़

01.06.2007]

मुद्रण शुल्क,

यात्रा, आवास,

मांगः रु. 3,55,80,38 /

बोर्डिंग आदि

(पोस्ट)

19.04.200

6)

आकलन देखें फाइल किए गए डब्ल्यू. पी. नं.

परिवहन,

कार्यालय

सीधे

6370/2008

कारण दिखाएँ के खिलाफ

किराया,

कार्यालय की आपूर्ति,

नोटिस दें।

दिनांकित

कार्यालय का

फर्नीचर और

17.03.2008 जिसके परिणामस्वरूप

उपकरण, रिपोर्ट

विवादित फैसला

और

दस्तावेज़

मुद्रण शुल्क

आदि।

दिनांकित 30.11.2012

[पूर्व

19.04.200

6] . [पृष्ठ

62-64]

2007-2008

परिवहन,

कार्यालय

6090/2017

अवधिः

2

वी. वी. [पद प्रभावी हो रहा है

किराया,

कार्यालय की आपूर्ति

सीएसटी

विवादित नियम 5 पर

& उपयोगिताएँ,

परीक्षण

अंतरमहाद्वीपीय

सलाहकार

01.06.2007]

आरोप,

दस्तावेज़

मुद्रण शुल्क,

मांग:

यात्रा, आवास,

बोर्डिंग आदि [पृष्ठ]

रु. 1,50,62,01 7 /

157]

कारण सूचना दिखाएँ

दिनांकित 24.10.2008 था

के आधार पर जारी किया गया

पहले का एस. सी. एन. दिनांकित

17.03.2008 के लिए

बाद की अवधि।

ओ-आई-ओ दिनांकित 02.03.2010

दोनों एससीएन को शामिल किया गया

दिनांकित 17.03.2008 &

24.10.2008 .

भारत संघ v. एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

ख. शेयर हस्तांतरण एजेंसी सेवाः

$ 1 .

सिविल अपील तथ्य

विवरण

नहीं।

अवधिः

01.04.2008

1

6866/2014

31.03.20

10

सीएसटी

वी.

अपनी मांग के माध्यम सेः

Rs.13,83

,479

सचिव

:

2 .

3360/2015

अवधिः

01.05.2006
31.03.2008

सीएसटी

वी.

शिखर

मांगः

शेयर करें।

रु.

13,83,479

रजिस्ट्री प्रा.

लि.

ग. कस्टम हाउस एजेंट को 18.04.2006 से पहले "क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट" सिर द्वारा कवर किया जाता है। विभिन्न खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए और अलग से ली जाने वाली सेवा/एजेंसी के लिए चालान के दो सेट जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई

सी. एच. ए. पर सेवा कर (वी. ई. एफ. 15.06.1997) परिपत्र दिनांक 06.09.1997 को देखते हुए।

केवल सेवाओं/एजेंसी शुल्कों के लिए जारी किए गए चालान का उपयोग किया जाता है

सेवा कर का भुगतान।

:

एस 1। सिविल अपील तथ्य सं. विवरण

अव

धिः

1 .

295-299 / 2014

:

सीएसटी वी. अशिता

01.

10.2003

31.

03.2008 ([पहले से

अंतर्राष्ट्रीय

आक्षे

पित नियम 5]

मांग:

4,66,60

7 / [2018] 10 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एससीएन

दिनांकित

21.04.2009 . ओ-आई-ए

दिनांकित 30.11.2010

[पृष्ठ 238-259] सेट करें

पहले की मांग को अलग करें

18.04.2006 में

वृत्त का दृश्य

दिनांकित 06.06.1997।

अवधि: Apr.08 से

सीमा शुल्क

2. 2021/2014

जाँच

सीएसटी वी. सुंदर

[पोस्ट करें

अगस्त '08

मिस.

शुल्क,

लागू हो रहा है

बालन

विवादित नियम 5

खर्च, सुंद

01.06.2007 पर]

खर्च,

स्ट्रैपिंग और

मांग:

स्ट्रैपिंग चार्ज

रु. 2,26,659 /

दस्तावेजीकरण

शुल्क लेते हैं।

दिनांकित

एससीएन

24.07.2009 .

अवधि: 01.04.2004 | सीमा शुल्क

3. | 4340-4341 / 2014

31.03.2008 तक

जाँच

सीएसटी वी. सूरज

शुल्क,

मिस.

खर्च, सुंद

अग्रदूत

मांग:

रु. 6,35,071 / - के रूप में

खर्च,

ओ में पुष्टि की गई

स्ट्रैपिंग और

द.

स्ट्रैपिंग चार्ज

आई-ओ।

दस्तावेजीकरण

कमिश्नर

(अपील) को दरकिनार कर दिया गया

शुल्क लेते हैं।

की मांग

प्रतिपूर्ति योग्य

प्राप्त खर्च

इस श्रेणी के अंतर्गत

" साफ-सफाई

&

अग्रेषण एजेंट "

सेवा संबंध

1.04.2004

17.04.2006 और

द.

पुष्टि की

शेष मांग।

4 .

8056/2015

उपलब्ध नहीं है

सीएसटी वी. सूरज

अग्रदूत

सी. एफ. एस. स्थानांतरित करें

टी. पी (ग) नहीं। ए.

5 .

शु

ल्क,

1043 1045/201

याचिका

के लिए

स्टीमर

एजेंट

डि

लीवरी

शुल्क,

7

डब्ल्यू. पी. का स्थानांतरण

20832 ,

आदेश दें

शु

ल्क,

नं.

14521 और 205 90

यू. ओ. आई. वी. श्री

हवाई अड्डा/सीमा

शुल्क
शुल्क [पृष्ठ 25]

2016 का बकाया

चिदम्बरम

माननीय से पहले

26 / पैरा सी]

& ओआरएस।

उच्च न्यायालय में

मद्रास।

एयरलाइन/स्टीमर

शुल्क,

भंडारण

संभ

ालना

उठाया गया

और

एससीएन

रुपये की मांग।

शुल्क, पैकिंग

37.13 लाख और रु।

शुल्क, परिवहन

53.30 लाख जो

शुल्क,

द्वारा गिराया गया था

धूमन

ओ-आई-ओ। शुल्क, बीमा

द.

हालांकि

शु

ल्क,

पर

सर्वेक्षण

मूल प्रमाणपत्र

ओ-आई-ओ की अपील करें

अलग कर दिया गया,

आरोप [पृष्ठ 62]

इसलिए डब्ल्यू. पी. 62 थे]

दाखिल किया।

भुगतान किए गए

शुल्कः
स्टीमर

अभिकर्ता,

कस्टम

माल ढुलाई

स्टेशन, हवाई अड्डा

भारतीय प्राधिकरण

और ट्रांसपोर्टर

[पृष्ठ 106-107]

6 .

7688/2014

अवधि:

सीमा शुल्क

जाँच के लिए

01.10.2003

विविध।

सीएसटी वी. श्री।

31.03.2008

शुल्क,

गायत्री

खर्च, सुंड्री

साफ-सफाई

[पहले और बाद में

खर्च,

लागू हो रहा है

स्ट्रैपिंग और री

एजेंसी

विवादित नियम

स्ट्रैपिंग शुल्क,

5 01.06.2007 पर]

दस्तावेजीकरण

शुल्क लेते हैं।

मांग:

रु.

9,65,652 /

[2018] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. एन. जारी किया गया

21.04.2009 . ओ-आई-ए

दिनांकित 31.07.2013

माँग को अलग रखें

इस अवधि के लिए

18.04.2006

में

31.03.2008

वृत्त का दृश्य

दिनांकित 06.06.1997।

7. 7685/2014

अवधिः 2004-05 &

सीएमसी

शुल्

क,

2007-08

कोनकोर, जी. एस. ई.

सी.,

कॉम.

परिवहन

में से

V. न्यायनिर्णयन

शुल्क, वायु और

सीमा शुल्क

रामदास प्रागजी। अधिकार प्राप्त हुआ

समुद्री माल ढुलाई,

कस्टम

अग्रेषक जिनका कोई सेवा नहीं है

शुल्क, सीमा शुल्क,

धूमन शुल्क,

कर देय था।

प्रा. लि.

प्रतिपूर्ति योग्य पर

नीचे

कागज,

लकड़ी

इससे पहले की राशि

आदि।

18.04.2006 . द.

प्रबन्धन प्रभार,

वृत्ताकार

दिनांकित

श्रम

खर्च,

06.06.1997 अपनी विविधता खो दिया

शुल्

क,

हवाई अड्डे के बाद

वैधता

शुल्

क,

परिचय

दस्तावेजीकरण

नियम 5. अतः यह

शुल्क,

एसटी

था।

फोटोकॉपी

पुनर्प्राप्त करने योग्य

शुल्क आदि [पृष्ठ]

181-182]

इसके बाद।

अवधिः

8. टी. पी (C) 1932

अप्रैल

बंदरगाह/हवाई अड्डा

1934/2017

2006 - मार्च 2009

प्राधिकरण

में से

भारत/सी. एफ.

एस./सी. सी. टी. एल

और डिलीवरी ऑर्डर

सीएसटी वी. हरा।

चैनल कार्गो

शुल्क, बंदरगाह

देखभाल

देय राशि,

सील करें

सत्यापन,

गोदाम/नीचे जाएँ

शुल्क लेते हैं।

घ. स्थल निर्माण और निकासी, उत्खनन और पृथ्वी को स्थानांतरित करने और ध्वस्त करने की सेवाएं: मूल्यांकनकर्ता ओपन कास्ट यूनियन ऑफ इंडिया v में अत्यधिक बोझ के ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, खुदाई, लोडिंग, परिवहन आदि का संचालन करते हैं।

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी

[ए. के. सिकरी, जे.]

खदानें। मुद्दा यह है कि क्या माल/सामग्री सेवा का मूल्य यू/एस है। 65 (97क), एस. टी. के उद्देश्य के लिए वित्त अधिनियम की धारा 67 के तहत 'सकल राशि' में शामिल किया जाना है।

विवादित आदेश भयान बिल्डर इंटरकांटिनेंटल के निर्णयों का पालन करते हैं।

सिविल अपील तथ्य

एस 1।

विवरण

नहीं।

| डीजल का मूल्य और

अवधि:

01.02.2005

1 .

6864/2014

सी. सी. ई. और एस. टी. बनाम

31.03.20

09

एस. वी.

रु. प्राप्तकर्ता।

इंजीनियरिंग

मांग:

74,14,39

6 / - और रु.

12,26,38

,376 /

2 .

अवधिः

01.04.2009- | डीजल का मूल्य और

6865/2014

सी. सी. ई. और एस. टी. बनाम

31.03.20

10

एस. वी.

मांगः

रु. प्राप्तकर्ता।

इंजीनियरिंग

87,63,59

5 /

:

3 .

4356

4537/2016

सी. सी. ई. और एस. टी. वी.

एस. वी.

इंजीनियरिंग

रुपये की

मांग।

4 .

5130/2016

18,85,88
,959 /
अवधि से संबंधित

सी. सी. ई. और एस. टी. बनाम

01.06.20
08 को

सुश्री इन्फ्रा

31.03.20
12

दिनांकित

एससीएन

01.10.20
12
ओ-आई द्वारा पुष्टि की गई

ओ दिनांकित
04.05.2011 [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अक्टूबर

विस्फोटकों का

मूल्य

5 . 4975/2016

अवधि:

तेल

2008 नवंबर तक

और डीजल

सी. सी. ई. और एस. टी. बनाम

मुफ्त में दिया जाता

है

2008

खाड़ी तेल

सेवा द्वारा लागत

रु. प्राप्तकर्ता।

मांग:

50,54,746 /

अवधि: मार्च '08 से विस्फोटकों का मूल्य

6 . 5453/2016

और डीजल तेल

मार्च 2012

मुफ्त में दिया जाता

है

सी. सी. ई. और एस. टी. बनाम

एएमआर इंडिया

मांग:

लागत

Rs.57,74,30,683 /

अवधि: 09 अप्रैल से। डीजल तेल का मूल्य

7 . 10223

जनवरी '10 और फरवरी मुफ्त की आपूर्ति की गई

10224/2017

2010 सितंबर तक की लागत

सी. सी. ई. और एस. टी. बनाम

2010

मेहरोत्रा बिल्डकॉन

मांग:

Rs.21,48,835/- +

रु. 18,06,655 /

उपलब्ध नहीं है।

डीजल तेल का मूल्य

5444/2017

मुफ्त में दिया जाता है

8 .

सी. सी. ई. और एस. टी. बनाम

लागत

मेहरोत्रा

बिल्डकॉन

ई.

$ 1 . सिविल

तथ्य।

प्रतिपूर्ति योग्य

नहीं। अपील

दावा किया गया

जैसे नहीं

विवरण

शामिल किया जा

सकता है

अवधि: 04 अप्रैल से आयोजन स्थल की नियुक्ति,

10626

1 .

माल,

06 मार्च

10627/2017

यात्रा,

कलाकारों,

कूरियर, भोजन और

[आने से पहले

दोषपूर्ण का प्रभाव

पेय पदार्थ,

नियम 5

प्रशासनिक

पर

01.06.2007]

खर्च, [पृष्ठ 76]

मांग:

Rs.24,70,

790 /

एससीएन

दिनांकित

22.10.200

8

भुगतान न

करना

पर सेवा कर

द्वारा प्रतिपूर्ति

डेबिट नोटों का तरीका

राशि में वृद्धि

आरोपित किया

गया

के माध्यम से

चालान

के लिए

' घटना'

प्रदान करना

प्रबंधन

सेवा ',

अनुभाग

21. निस्संदेह, नियम, 2006 का नियम 5 सेवा प्रदान करते समय होने वाले खर्चों को अपने दायरे में लाता है और प्रतिपूर्ति, अर्थात, जिसके लिए सेवा प्राप्तकर्ता ने निर्धारिती को भुगतान किया है। इन नियमों के अनुसार, ये प्रतिपूर्ति योग्य खर्च भी 'प्रभारित सकल राशि' का हिस्सा हैं। इसलिए, मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अधिनियम की धारा 67 अधीनस्थ विधान को उक्त तरीके से अधिनियमित करने की अनुमति देती है, जैसा कि नियम 5 द्वारा किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 19 अप्रैल, 2006 से पहले, यानी ऐसे किसी नियम के अभाव में, मूल्यांकन अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना था।

22. अधिनियम की धारा 66 आरोप लगाने वाली धारा है जो इस प्रकार है

इसके अंतर्गत:

" धारा 65 के उपखंडों में निर्दिष्ट कर योग्य सेवाओं के मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से कर (इसके बाद सेवा कर के रूप में संदर्भित) लगाया जाएगा और इस तरह से एकत्र किया जाएगा निर्धारित "।

23. जाहिर है, यह धारा सेवा कर को संदर्भित करती है, यानी उन सेवाओं के संबंध में जो कर योग्य हैं और विशेष रूप से विभिन्न [2018] 10 एस. सी. आर. में संदर्भित हैं।

धारा 65 के उपखंड। इसके अलावा, इसमें विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया गया है कि सेवा कर 'कर योग्य सेवाओं के मूल्य' का 12 प्रतिशत होगा। इस प्रकार, सेवा कर सेवा के मूल्य का संदर्भ है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में,

यह उन सेवाओं का मूल्य है जो वास्तव में प्रदान की जाती हैं, जिसके मूल्य का पता उस पर देय सेवा कर की गणना के उद्देश्य से लगाया जाना है।

24. इस रंग में, अधिनियम की धारा 67 में आने वाली 'ऐसी' अभिव्यक्ति का महत्व है। दूसरे शब्दों में, कर योग्य का मूल्यांकन

सेवा कर वसूलने के लिए अधिकारियों को यह पता लगाना होता है कि 'ऐसी' कर योग्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल कितनी राशि ली जाती है। एक किले के रूप में,

ऐसी कोई अन्य राशि जिसकी गणना ऐसी कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए नहीं की जाती है, उस मूल्यांकन का हिस्सा नहीं हो सकती क्योंकि उस राशि की गणना ऐसी 'कर योग्य सेवा' प्रदान करने के लिए नहीं की जाती है। यह हमारे अनुसार स्पष्ट अर्थ है जिसे धारा 67 (अपरिवर्तित, अर्थात, 1 मई, 2006 से पहले) या इसके संशोधन के बाद, 1 मई, 2006 से जोड़ा जाना है। एक बार जब यह व्याख्या धारा 67 को दी जानी है, तो इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि नियमों का नियम 5 धारा 67 के अधिदेश से बहुत आगे चला गया। इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने धारा 66 और 67 की व्याख्या करते हुए कहा था कि कर योग्य सेवा के मूल्यांकन में, कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा 'ऐसी सेवा के लिए' ली गई सकल राशि होगी और कर सेवा का मूल्यांकन ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिदान के रूप में भुगतान किए गए प्रतिफल से अधिक या कम कुछ नहीं हो सकता है। 25. यह स्थिति संशोधित धारा 67 में भी नहीं बदली जो 1 मई, 2006 को जोड़ी गई थी। धारा 67 की उप-धारा (4) नियम बनाने वाले प्राधिकारी को उस तरीके को निर्धारित करने का अधिकार देती है जिसमें कर योग्य सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाना है। तथापि, धारा 67 (4) को स्पष्ट रूप से उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन बनाया गया है। का अधिदेश

धारा 67 की उप-धारा (1) प्रकट है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। , सेवा कर का भुगतान केवल सेवा द्वारा वास्तव में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर किया जाना है।

प्रदाता।

26. यह सामान्य बात है कि नियम कानून से परे नहीं जा सकते।

बाबाजी कोंडाजी गराद में, इस नियम का उल्लेख निम्नलिखित में किया गया था:

तरीका -

" अब यदि किसी क़ानून और अधीनस्थ विधान के बीच कोई टकराव है, तो यह दृढ़ता से कहने के लिए विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं है कि क़ानून अधीनस्थ विधान और उपनियम पर प्रबल है, यदि भारत संघ v को प्रभावी बनाने के लिए क़ानून के अनुरूप नहीं है।

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

वैधानिक प्रावधान नियम या उप-कानून को नजरअंदाज करना होगा। वैधानिक प्रावधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए।

27. चेन्नियप्पा मुदलियार में उपरोक्त सिद्धांत को दोहराया गया है जिसमें कहा गया है कि एक नियम जो मुख्य अधिनियम के साथ टकराव में आता है, उसे अधिनियम के प्रावधानों को रास्ता देना होगा।

28. यह भी अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अधिनियम के प्रावधानों के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, जैसा कि ताज में आयोजित किया गया है।

महल होटल:

' नियम केवल अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य से थे और वे जो था उसे हटा नहीं सकते थे

अधिनियम द्वारा प्रदत्त या इसके प्रभाव को कम करें।

29. वर्तमान मामले में, जिस तरह से विधानमंडल ने स्वयं कार्य किया, उससे उपरोक्त दृष्टिकोण मजबूत होता है। उस खंड को समझते हुए 67 , कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन से निपटने के लिए, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिपूर्ति व्यय शामिल नहीं है, 14 मई, 2015 से वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित विधानमंडल, जिसके तहत खंड (ए) जो 'विचार' से संबंधित है, सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिपूर्ति व्यय या लागत को शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है और

प्रभारित, कर योग्य सेवा प्रदान करने या प्रदान करने के लिए सहमत होने के क्रम में। इस प्रकार, केवल 14 मई, 2015 से धारा 67 के प्रावधानों के आधार पर, इस तरह के प्रतिपूर्ति योग्य व्यय या लागत भी लागू होगी।

यह सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन का हिस्सा है। हालाँकि, विभाग के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया था कि धारा 67 एक घोषणात्मक प्रावधान है, और न ही यह तर्क दिया जा सकता है, क्योंकि हम पाते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो विभाग के साथ लाया गया है।

धारा 67 में संशोधन और इसलिए, प्रकृति में संभावित होना चाहिए।

मामले के इस पहलू पर, हम उपयोगी रूप से आयकर आयुक्त (केंद्रीय) I, नई दिल्ली बनाम के मामले में संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया:

" 27. एक कानून, चाहे वह एक सांविधिक अधिनियम हो या एक सांविधिक नियम या एक सांविधिक अधिसूचना, भौतिक रूप से कागजों पर मुद्रित शब्दों से बना हो सकता है। हालाँकि, वैचारिक रूप से यह एक सामान्य गद्य से बहुत अधिक है। मौखिक पद्धति में एक विशेष विशिष्टता है।

कथन, जैसे कि किसी काल्पनिक/गैर-काल्पनिक कार्य में पाए जाते हैं या

यहां तक कि अदालत के फैसले में भी। कानून का मसौदा तैयार करने के साथ-साथ कानून को समझने के लिए एक तकनीक की आवश्यकता होती है। पूर्व तकनीक को विधायी प्रारूपण के रूप में जाना जाता है और बाद वाली तकनीक "कानूनों की व्याख्या" के विभिन्न सिद्धांतों में पाई जाती है। साधारण गद्य की तुलना में, एक विधान अपनी उत्पत्ति, रूपरेखा और विशेषताओं में भिन्न होता है और साथ ही इसके निर्माता के इरादे के बारे में अनुमानों से उत्पन्न होने वाले इसके अर्थ के निहितार्थ में भी भिन्न होता है।

28. किसी विधान की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले विभिन्न नियमों में से एक स्थापित नियम यह है कि जब तक कोई विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक एक विधान को ऐसा नहीं माना जाता है कि इसका उद्देश्य

पूर्वव्यापी संचालन। नियम के पीछे विचार यह है कि एक वर्तमान

कानून को वर्तमान गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए। आज पारित कानून अतीत की घटनाओं पर लागू नहीं हो सकता है। अगर हम आज कुछ करते हैं, तो हम उसे आज और लागू कानून को ध्यान में रखते हुए करते हैं, न कि कल के पिछड़े समायोजन को ध्यान में रखते हुए। कानून की प्रकृति में हमारा विश्वास इस आधार पर स्थापित है कि प्रत्येक मनुष्य को मौजूदा कानून पर भरोसा करके अपने मामलों को व्यवस्थित करने का अधिकार है और यह नहीं देखना चाहिए कि उसकी योजनाएं पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित हुई हैं। यह सिद्धांत

कानून को लेक्स प्रॉस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट के रूप में जाना जाता है: कानून आगे देख रहा है

वह सिद्धांत जिसके द्वारा भविष्य से निपटने के लिए पहली बार पेश किए जाने पर मानव जाति के आचरण को विनियमित किया जाना है अधिनियमों को तत्कालीन मौजूदा कानून के विश्वास पर किए गए पिछले लेनदेन के चरित्र को नहीं बदलना चाहिए।

29. पूर्वव्यापीता के खिलाफ सिद्धांत का स्पष्ट आधार है

फॉस्फेट v. यामाशिता-शिन्निहोन स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड। इस प्रकार, ऐसे विधान जो अर्जित अधिकारों को संशोधित करते हैं या जो लागू करते हैं दायित्वों या नए कर्तव्यों को लागू करने या एक नई विकलांगता को संलग्न करने को संभावित के रूप में माना जाना चाहिए जब तक कि विधायी इरादा स्पष्ट रूप से अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए न हो; जब तक कि कानून पूर्व में एक स्पष्ट चूक प्रदान करने के उद्देश्य से न हो।

कानून बनाना या किसी पूर्व कानून की व्याख्या करना। हमें इस विषय पर उपलब्ध केस लॉ के कॉर्नुकोपिया पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपरोक्त कानूनी स्थिति विभिन्न निर्णयों और इस यूनियन ऑफ इंडिया v से स्पष्ट रूप से उभरती है।

एम/एस। आंतरिक सलाहकार और प्रौद्योगिकी [ए. के. सिकरी, जे.]

पक्षकारसभक वकील द्वारा कानूनी स्थितिकँ स्वीकार कयल गेल छल। किसी भी मामले में, हम इस उक्ति वाले कुछ निर्णयों का उल्लेख कुछ समय बाद करेंगे।

30. नतीजतन, हम उन अपीलों में से किसी में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं

जिन्हें तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

सिविल अपील सं। 6865 2014 का नागरिक आवेदन सं। 6864 2014 का नागरिक आवेदन सं। 4975 2016 का नागरिक आवेदन सं। 5130 2016 और नागरिक आवेदन संख्या। 4536-4537 2016 का

गठन और मंजूरी सेवा 'को इस उद्देश्य के लिए शामिल किया जा सकता है - अधिनियम की धारा 67 के तहत सेवा कर का निर्धारण। इन कर निर्धारकों ने उपरोक्त अधिसूचना संख्या का लाभ नहीं उठाया था। 15/2004 और 4/2005। इसलिए, इस मुद्दे का निर्णय केवल इसका उल्लेख करके किया जाना चाहिए

अधिनियम की धारा 67। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की जाने वाली ऐसी सामग्री के मूल्य को 'सकल राशि प्रभारित' के रूप में नहीं माना जा सकता है और यह सेवा प्रदान करने के लिए 'प्रतिफल' नहीं है। इसलिए, डीजल और विस्फोटकों की मुफ्त आपूर्ति का मूल्य शामिल करने की गारंटी नहीं देगा, जबकि इसके सेवा कर पर ली गई सकल राशि का भुगतान किया जाना है। इसलिए इन सभी अपीलों को भी खारिज कर दिया जाता है।

हस्तांतरण याचिका (नागरिक) सं। 1043-1045 2017 की हस्तांतरण याचिका (नागरिक) सं। 1932-1934 2017 का

32. इन स्थानांतरण याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और प्रार्थना खंड में उल्लिखित रिट याचिकाएं, जो मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दी जाती हैं।

33. हस्तांतरित रिटों का निपटान 2014 की सिविल अपील संख्या 2013 और अन्य में ऊपर दिए गए निर्णय के संदर्भ में भी किया जाता है।

संबंधित मामले।

माम

लों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे